समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला स्थापना शाखा)

समेकित बाल विकास सेवा योजना अन्तर्गत आंगनबाड़ी सेविका से अनुबंध के आधार पर महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन हेतु चयन समिति द्वारा मेधा सूची पर अन्तिम अनुमोदन के पश्चात् अद्योलिखित औपबंधिक चयनित आगंनबाड़ी सेविका का कान्उसेलिंग एवं सेवावधि के जाँचोपरान्त चयनित किया जाता है।

क्र0 सं0	आंगनबाड़ी सेविका का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	अभ्यर्थी का व्यक्तिगत कोटि	चयनित कोटि	कुल प्राप्तांक	अभ्युक्ति
1	संगीता कुमारी, तेधड़ा तारापुर	जगदेव पासवान	05.03.1970	अनु0 जाति	सामान्य	26	रोस्टर बिन्दु सं0 01
2	आभा कुमारी सिंह, बढ़ौनिया (संग्रामपुर)	राजेन्द्र प्रसाद सिंह	01.01.1967	सामान्य	सामान्य	25	रोस्टर बिन्दु सं0 03
3	संगीता कुमारी, दुरमटा (संग्रामपुर)	नंद कुमार दिवाकर	15.10.1972	पि0वर्ग	सामान्य	22	रोस्टर बिन्दु सं0 05
4	सुनिती सुमन, भीखाडीह (संग्रामपुर)	महेश्वर प्रसाद सिंह	15.12.1975	पि0वर्ग	सामान्य	22	रोस्टर बिन्दु सं0 07
5	सरला कुमारी, सरकटिया (संग्रामपुर)	महेश्वर प्रसाद सिंह	01.01.1976	पि0वर्ग	पि0वर्ग	22	रोस्टर बिन्दु सं0 06
6	कृष्णा भारती, सराय (संग्रामपुर)	अजब लाल पंडित	05.04.1974	अ0पि0वर्ग	अ0पि0वर्ग	17	रोस्टर बिन्दु सं0 02
7	सुरेखा कुमारी, धौरी (टेटियाबम्बर)	कृष्ण नंदन	01.03.1977	अनु0 जाति	अनु0 जाति	21	रोस्टर बिन्दु सं0 04
8	रजना भारती, विरजपुर (संग्रामपुर)	कुलदीप दास	25.01.1973	अनु0 जाति	अनु0 जाति	17	रोस्टर बिन्दु सं0 10

क्रमांक 02 पर अंकित अभ्यर्थी आभा कुमारी सिंह का इंटरमीडिएट अंक पत्र का सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त हैं। यदि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्चतर माध्यमिक) पटना से सत्यापन प्रतिवेदन तीन माह में प्राप्त नहीं होता है, तो उनका चयन रदद कर दिया जायेगा। इनका योगदान तत्काल स्थगित रहेगा।

इस कार्यालय के ज्ञापांक 274/स्था0,दिनांक 9.3.2011 द्वारा आंगनबाड़ी सेविका से अनुबंध के आधार पर महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन हेतु प्रकाशित औपबंधिक चयन सूची के सामान्य कोटि के क्रमांक 02 पर अंकित कुमारी विजया लक्ष्मी के कार्यकाल की जाँच कराया गया। जाँचोपरान्त इनका सेवा अवधि लगभग चार वर्ष होता है। इस प्रकार कुमारी विजया लक्ष्मी को दस वर्ष का अनुभव प्राप्त नहीं हैं। अतः जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय के आलोक में इनका औपबंधिक चयन रदद किया जाता है।

31/10/11

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

F:\Rai sir\LS sevika 24-10-2011.doc

दिनांक 17.10.2011 को जिला पदाधिकारी, मुंगेर के अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :-

1. जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
3. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर।
4. सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुंगेर।
5. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर।

समेकित बाल विकास सेवा योजना अन्तर्गत अनुबंध के आधार पर आंगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन हेतु जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित मेधा सूची के आधार पर औपबंधिक रूप में निम्न चयनित अभ्यर्थियों के अनुभव संबंधी प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, संग्रामपुर, तारापुर एवं टेटिया बम्बर से प्राप्त होने के पश्चात् समिति के समक्ष रखा गया।

क्र0 सं0	आंगनबाड़ी सेविका एवं केन्द्र का नाम	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, द्वारा प्रतिवेदित सेवा प्रारंभ की तिथि	मानदेय भुगतान की स्थिति
1	संगीता कुमारी, तेधड़ा तारापुर	01.08.1988	नियमित मानदेय का भुगतान किया गया है।
2	कुमारी विजयालक्ष्मी ठाढ़ा, टेटियाबम्बर	21.07.2000 से 31.11.2000 एवं 01.01.2001 से 30.11.2001 एवं 25.05.2007 से	प्रतिवेदित अवधि में नियमित मानदेय का भुगतान किया गया है।
3	आभा कुमारी सिंह, बढ़ौनिया (संग्रामपुर)	06.10.1997	नियमित मानदेय का भुगतान किया गया है।
4	संगीता कुमारी, दुरमटा (संग्रामपुर)	06.10.1997	नियमित मानदेय का भुगतान किया गया है।
5	सुनिती सुमन, भीखा डीह (संग्रामपुर)	06.10.1997	नियमित मानदेय का भुगतान किया गया है।
6	सरला कुमारी, सरकटिया (संग्रामपुर)	06.10.1997	नियमित मानदेय का भुगतान किया गया है।
7	कृष्णा भारती, सराय (संग्रामपुर)	29.01.1998	नियमित मानदेय का भुगतान किया गया है।
8	सुरेखा कुमारी, धौरी (टेटियाबम्बर)	29.01.1998 25.05.2007	नियमित मानदेय का भुगतान किया गया है।
9	रंजना भारती, विरजपुर (संग्रामपुर)	06.10.1997	नियमित मानदेय का भुगतान किया गया है।

क्रमांक 2 पर अंकित कुमारी विजया लक्ष्मी के संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, संग्रामपुर एवं टेटिया बम्बर के प्रतिवेदन के आधार पर इनका कुल सेवावधि 01.1.2010 के आधार पर लगभग चार वर्ष होता है। CWJC 8086/2005 में पारित आदेश के आलोक में चयन रदद पर रोक लगाया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है कि The impugned letter dated 11.10.2004 and order dated 28.9.2004 are quashed and the matter is remanded to the authorities to proced in the matter in accordance with law. परन्तु इस दिशा में सक्षम प्राधिकार द्वारा कोई कार्रवाई का साक्ष्य नहीं मिला है। विभागीय संकल्प 1846 दिनांक 10.06.2010 के कंडिका 2 (क) में 01.01.2010 को कुल सेवावधि 10 वर्ष होना चाहिए, तथा कंडिका 5(ड) में वर्णित प्रावधान के आलोक म सेवा

केवल उसी अवधि के लिए देय होगी जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया हो। परन्तु कुमारी विजया लक्ष्मी का सेवावधि 10 वर्ष से कम है। इस प्रकार कुमारी विजया लक्ष्मी ने अनिवार्य अर्हता पूरी नहीं की है।

उपरोक्त आधार पर समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि कुमारी विजया लक्ष्मी को 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त नहीं है। अतः इनका औपबंधिक चयन रद्द किया जाय।

क्रमांक 3 पर अंकित आभा कुमारी सिंह के इंटरमीडीएट अंक पत्र सत्यापन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्चतर माध्यमिक) पटना को भेजा गया सत्यापन प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है।

समिति का निर्णय :—आभा कुमारी सिंह को चयनित किया जाय। परन्तु योगदान नहीं लिया जाय इनका इंटरमीडीएट अंक पत्र का सत्यापन प्रतिवेदन यदि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्चतर माध्यमिक), पटना से तीन महीना में प्राप्त नहीं होता है, तो इनका चयन रद्द कर दिया जाय तदनुसार उक्त रिक्ति पर आगे की कार्रवाई की जाय।

समिति ने आंगनबाड़ी सेविका से अनुबंध के आधार पर महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन हेतु औपबंधिक चयनित कुल नौ अभ्यर्थियों में से शेष 07 आंगनबाड़ी सेविका को निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियोजन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की ।

1. प्रमाण पत्र जाली या गलत पाये जाने की स्थिति में उनका चयन रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाय।
2. जबतक सभी प्रकार के प्रमाण–पत्रों का सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है तबतक चयनित अभ्यर्थियों का मानदेय का भुगतान नहीं किया जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त समिति का निर्णय :—

1. आंगनबाड़ी सेविका से अनुबंध के आधार पर महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन हेतु मेधा सूची का उपरोक्त के आधार पर अद्यतन किया जाय।
2. पद रिक्त होने के स्थिति में प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों का नियोजन समिति के बैठक में निर्णय के उपरान्त ही किया जाय।

25.10.11

स्थापना उपसमाहर्ता, मुंगेर 29/10/11 — सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुंगेर — जिला प्रोग्राम पदा० (ICDS), मुंगेर — असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदा०, मुंगेर — उप विकास आयुक्त, मुंगेर — जिला पदाधिकारी, मुंगेर। 29/10/11

ज्ञापांक 1259 / स्था० दिनांक 29/10/11

प्रतिलिपि — चयन समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि — जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी मुंगेर को जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/10/11
जिला पदाधिकारी
मुंगेर।